


28.08.23

पत्रावली पैदा हुई। वकील शर्मा या शर्मा
संप्रति उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज लगाते पर भी
वकील शर्मा या शर्मा संप्रति उपस्थित नहीं हुए अतः
शर्मा का यह शर्मा पर अदम्य पैरवी अदम्य हाजिरी में
इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली का
नरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में
पुनाया गया।


(अमिता सिंह)
R.A.S.